

30.05.18 अधिवक्ता इभयपल इप.। मूल प्रकरण के साथ दि. 19.06.18 को पेश हो।

जिला कलेक्टर  
दोसा

19.06.18

आज 19.06.18 को प्र.सू. राज्याभि. दि. 18 की तारीख पेशी दी गई। नए आदेशों की पालना में दिनांक 11.07.18 को पेश हो।  
रीडर  
जिला कलेक्टर, दोसा

11.07.18

अधिवक्ता अधी. व राजकीय अधिवक्ता इप.। मूल प्रकरण के साथ दि. 23.07.18 को पेश हो।  
जिला कलेक्टर  
दोसा

23.07.18

अधिवक्ता अधी. व राजकीय अधिवक्ता इप.। मूल प्रकरण का निर्णय हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वगत विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का स्वगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। मुले -माशालम सुनाया गया।  
जिला कलेक्टर  
दोसा

